प्रारम्भिक डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/213/2024 दायर दिनांकः— 23/07/2024

जीसीएमएस नं0:— 2024/454 निर्णय दिनांकः— 11/07/2025

बउनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत
2. सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम पीरू का नगला तन तसई तहसील कठूमर।

——— वादीगण

बनाम

1. लालसिंह पुत्र बहोरी जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
2. सुरेशसिंह पुत्र इन्दर जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
3. ओमीसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
4. सन्तो पत्नी इन्दरसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
5. चरनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
7. नारंगी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
8. रोशनी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
9. गायत्री पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
10. निर्मला पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
11. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

—— प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1.श्री सुभाषचन्द शर्मा —अधिवक्ता वादी
2.श्री रामजीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं01से 4
3.श्री देवेन्द्रसिंह नरूका अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 5 से 10

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

–:निर्णय:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा 3013/3359, रकबा 0.67हे0 वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/10 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के 1/10 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 10 उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की ओर से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 11 उपस्थित आये जवाब पेश नहीं करना चाहा उनका उनका जवाब बन्द किया गया । प्रतिवादी संख्या 2,3,4, ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो वाद जॉच तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। एवं प्रतिवादीसंख्या 1 के अधिवक्ता उनकी ओर से पैरवी नहीं करना चाहते है। उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया उनकी एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा पीडब्लू 1 विक्रम, पीडब्लू 2 प्रकाश, पीडब्लू 3 नानकचन्द के वयान लेखबद्व कराये गये जो शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77 वाके ग्राम तसई बी सत्य प्रतिलिपी, नक्शा ट्रैस, रास्ते की फोटो, असल इकरारनाम दिनांक 20.08.2014, नक्शा मौका, पेश की है, जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली पर बहस वकील वकुलाय की सुनी गई। बहस में अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने प्रस्तुत वाद के तथ्यों को दोहराते हुये उक्त आराजी में वादीगण का 1/10 हिस्सा व शेष

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (जिला अलवर) राज०

हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के 1/10 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने अपने वाद वादीगण को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कोई ऐतराज नहीं किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया जमाबन्दी में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादी की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है, एवं वादी के अधिवक्ता के निवेदन के आधार पर दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादीगण प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है कि वो आराजी खसरा नम्बर 3013/3359, रकबा 0.67हे0 वाके ग्राम तसई बी तहसील कठूमर पर मौके पर पहुॅच कर दोनो पक्षकारान की उपस्थिति में मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ताकि मुकदमा में अंतिम डिक्री पारित की जा सके। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी की जावे।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अ

अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 213 / 2024 दायर दिनांकः—23 / 07 / 2024

जीसीएमएस नं0ः—2024 / 454 निर्णय दिनांकः—30 / 01 / 2026

बउनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत
2. सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम पीरू का नगला तन तसई तहसील कठूमर।

————वादीगण

बनाम

1. लालसिंह पुत्र बहोरी जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
2. सुरेशसिंह पुत्र इन्दर जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
3. ओमीसिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
4. सन्तो पत्नी इन्दरसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
5. चरनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
7. नारंगी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
8. रोशनी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
9. गायत्री पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
10. निर्मला पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
11. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

——प्रतिवादीगण

दावातकसीम व हूक्मइन्तनाईदवामीअन्तर्गत धारा—53, 188राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1.श्री सुभाष चन्द शर्मा—अधिवक्ता वादी
2.श्री रामजीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं01से 4
3.श्री देवेन्द्रसिंह नरूका अधिवक्ताप्रतिवादी सं0 5 से 10

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

—:निर्णय:—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैकि आराजी खसरा 3013/3359, रकबा 0.67 हे0 वाके ग्रम तसई बी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/10 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 10 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है।लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है।अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है।इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकांसमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादी के 1/10 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों का रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजीत का तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.07.2024को प्रतिवादी संख्या 1से 10 उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 10 की ओर से इकबाल जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 11 उपस्थित आये जवाब पेश नहीं करना चाहा उनका उनका जवाब बन्द किया गया । प्रतिवादी संख्या 2,3,4, ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया जो वाद जॉच तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता उनकी ओर से पैरवी नहीं करना चाहते है।उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया उनकी एक एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा पीडब्लू 1 विक्रम, पीडब्लू 2 प्रकाश, पीडब्लू 3 नानकचन्द के वयान लेखबद्व कराये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2074–77वाके ग्राम तसई बी सत्य प्रतिलिपी, नक्शा ट्रैस, रास्ते की फोटो, असल इकरारनाम दिनांक 20.08. 2014, नक्शा मौका, पेश की है,जो शामिल पत्रावली किये गये। दावा वादी की बहस सुनी गई वाद वादी दिनांक 11.07.2025 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुर्रेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर अदालत हाजा के समक्ष पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत रेकार्ड व विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुर्रेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर 3013/3359/1 रकबा 0.1625 लालसिंह पुत्र बहोरी राजपूत निवासी तसई, 3013/3359/2 रकबा 0.0650 विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह 1/2 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/2 हिस्सा, 3013/3359/3 रकबा 0.0975 ओमीसिंह, सुरेशसिंह पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह, 3013/3359/4 रकबा 0.3250, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी,गयात्री,निर्मला पुत्रियान महेनद्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह, 3013/3359/5 रकबा 0.0200, लालसिंह पुत्र बहोरी 1/4 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/20 हिस्सा, विक्रमसिंह, ओमीसिंह, सुरेशसिंह पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह 4/20 हिस्सा, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी, गायत्री, निर्मला पुत्रीयान महेन्द्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह 1/2 हिस्सा वाके ग्राम तसई बी जातियान राजपूत निवासीयान तसई तहसील कठूमर को तकसीम में दिया है। विभाजन के अनुसार नक्शा भी विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा पर वादी एंव प्रतिवादीगण के सहमति के हस्ताक्षर है। कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार पर किसी पक्षकार ने कोई आपत्ति नहीं की है। अतः मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर वाद वादी अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3013/3359/1 रकबा 0.1625 लालसिंह पुत्र बहोरी राजपूत निवासी तसई, 3013/3359/2 रकबा 0.0650 विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह 1/2 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/2 हिस्सा, 3013/3359/3 रकबा 0.0975 ओमीसिंह, सुरेशसिंह पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह, 3013/3359/4 रकबा 0.3250, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी,गयात्री,निर्मला पुत्रियान महेनद्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह, 3013/3359/5 रकबा 0.0200, लालसिंह पुत्र बहोरी 1/4 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/20 हिस्सा, विक्रमसिंह, ओमीसिंह, सुरेशसिंह पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह 4/20 हिस्सा, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी, गायत्री, निर्मला

उपखण्ड अधिकारी
...(अलवर) राज०

पुत्रीयान महेन्द्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह 1/2 हिस्सा वाके ग्राम तसई बी जातियान राजपूत निवासीयान तसई तहसील कठूमर को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।सुनाया।

आज दिनांक 30.01.2026 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः—श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/213/2024 दायर दिनांकः—23/07/2024

जीसीएमएस नं0ः—2024/454 निर्णय दिनांकः—30/01/2026

बउनवान

1. विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह जाति राजपूत
2. सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम पीरू का नगला तन तसई तहसील कठूमर।

------डिक्रीदारान्

बनाम

1. लालसिंह पुत्र बहोरी जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
2. सुरेशसिंह पुत्र इन्दर जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
3. ओमीसिंह पुत्र इन्दर सिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
4. सन्तो पत्नी इन्दरसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
5. चरनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र महेन्द्रसिह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
7. नारंगी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
8. रोशनी पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
9. गायत्री पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
10. निर्मला पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत ग्राम पीरू का नगला तन तसई
11. तहसीलदार कठूमर तहसील कठूमर।

--मदयूनान्

दावातकसीम व हूक्मइन्तनाईदवामीअन्तर्गत धारा—53, 188राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा वादी मुताविक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 3013/3359/1 रकबा 0.1625 लालसिंह पुत्र बहोरी राजपूत निवासी तसई, 3013/3359/2 रकबा 0.0650 विक्रमसिंह पुत्र इन्दरसिंह 1/2 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/2 हिस्सा, 3013/3359/3 रकबा 0.0975 ओमीसिंह, सुरेशसिंह

उपखण्ड अधिकारी (अलवर)

पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह, 3013/3359/4 रकबा 0.3250, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी,गयात्री,निर्मला पुत्रियान महेनद्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह, 3013/3359/5 रकबा 0.0200, लालसिंह पुत्र बहोरी 1/4 हिस्सा, सोहनसिंह पुत्र साहबसिंह 1/20 हिस्सा, विक्रमसिंह, ओमीसिंह, सुरेशसिंह पुत्रान इन्दरसिंह, संतो पत्नि स्व0 इन्दरसिंह 4/20 हिस्सा, चरणसिंह, राजेन्द्रसिंह पुत्रान महेन्द्रसिंह, रोशनी, गायत्री, निर्मला पुत्रीयान महेन्द्रसिंह, नारंगी पत्नि स्व0 महेन्द्रसिंह 1/2 हिस्सा वाके ग्राम तसई बी जातियान राजपूत निवासीयान तसई तहसील कठूमर को तकसीम में दिया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तहसीलदार कठूमर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

आज दिनांक 30.01.2026 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०